

आठवीं अनुसूची
(धारा 117 देखिए)

वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की सातवीं अनुसूची में,—

(1) टैरिफ मद 2402 20 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “90 रुपए प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) टैरिफ मद 2402 20 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “145 रुपए प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

5

(3) टैरिफ मद 2709 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
“8517 12	— सेल्यूलर नेटवर्कों या अन्य वायरलेस नेटवर्कों के लिए टेलीफोन :		
8517 12 10	--- पुश बटन की तरह के	इ0	1%
8517 12 90	--- अन्य	इ0	1%” ;

10

(4) उपशीर्ष 5402 20, टैरिफ मद 5402 20 10, 5402 20 90, 5402 33 00, 5402 46 00, 5402 47 00, 5402 52 00, 5402 62 00, 5406 10 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।